

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2019-20/

दिनांक :- 01/04/2019

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
.....

विषय :- वर्ष 2019-20 के लिए 01-संवैतन उपमद में बजट आवंटन जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (आय व्ययक) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.4(1)वित्त-1(1)/आ.व्य./2019 दिनांक 27.03.2019

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में विभाग के अधिनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों (यथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (क्षेत्रीय कार्यालय), प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारम्भिक 04 माह के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं PEEO से सम्बन्धित लेखामदों के विस्तृत मद 01-संवैतन में बजट का आवंटन IFMS पर ऑनलाईन उपलब्ध करा दिया गया है। समस्त कार्यालय/विद्यालय अपने IFMS कोड पर बजट का मिलान कर माह मार्च, 2019 का वेतन एवं आगामी वेतन का आहरण आवंटित बजट से कर सकेंगे।

जिन लेखामदों में केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि दोनों में बजट का आवंटन किया गया है उसमें वेतन का आहरण केन्द्रीय सहायता तथा राज्य निधि से आवंटन के अनुसार आनुपातिक रूप से किया जाना है जिसके लिए बिल बनाने के पश्चात् कोषालय में बिल Forward करते समय राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता में आवंटित बजट की राशि पृथक-पृथक अंकित की जाए।

गत वर्ष 2018-19 में यह स्थिति सामने आई है कि केन्द्रीय सहायता में अथवा केवल राज्य निधि में ही बिल बनाए गए हैं जो कि वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत है। अतः उपर्युक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2019-20/

दिनांक :- 01/04/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्या. हाजा को विभागीय वैबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर